



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आदि न 12, गुरुवार, शाके 1940-अक्टूबर 4, 2018  
Asvina 12, Thursday, Saka 1940- October 4, 2018

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

**Jaipur, October 04, 2018**

**No. F. 2 (26) Vidhi/2/2018** .- The following Act of the Rajasthan State Legislature Which received the assent of the Governor on the 1<sup>st</sup> day of October, 2018 is hereby published for general information :-

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY  
(OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND  
PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2018**

**(Act No. 25 of 2018)**

[Received the assent of the Governor on the 1<sup>st</sup> day of October, 2018]

An

Act

*further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.**- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.**- In sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and

Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) for the existing expression "1st April, 2010", the expression "1st April, 2018" shall be substituted; and

(ii) in clause (a), after the existing expression "medical treatment" and before the existing expression "equivalent to", the expression " of himself and his dependent children" shall be inserted .

**3. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-** In sub-section (1) of section 4-C of the principal Act, the existing proviso (i) shall be deleted with effect from 1<sup>st</sup> April, 2018.

महावीर प्रसाद शर्मा,

**Principal Secretary to the Government.**

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 04, 2018

**संख्या प.2(26) विधि/2/2018 :-** राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान लेजिसलेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट्स एण्ड पेंशन) (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2018 (एक्ट नं. 25 ऑफ 2018)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

**राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2018**

**(2018 का अधिनियम संख्यांक 25)**

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 अक्टूबर, 2018 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4-क की उप-धारा (2) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2010" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "1 अप्रैल, 2018" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चिकित्सीय उपचार के लिए" से पूर्व, अभिव्यक्ति "स्वयं के और अपने आश्रित बच्चों के" अंतःस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान परन्तुक (i) को 1 अप्रैल, 2018 से हटाया जायेगा।

महावीर प्रसाद शर्मा,  
प्रमुख शासन सचिव।